भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

क्रमांक 19754

BV 044897

राजस्थान RAJASTHAN

दिनांक 04-10-24

किराया-नामा

मैं कि रामेश्वर आयु 49 वर्ष आत्मज श्री बजरंगलाल जी जाति धाकड निवासी मोडक स्टेशन छापल्डा तहसील चेचट जिला-कोटा राजस्थान का रहने वाला हूं जो कि निम्न प्रकार से किरायानामा आलेखित करता हूं:-

जो कि मुझ मूकिर के स्वामित्व कब्जे मालिकाना हक का एक मकान ग्राम मोडक स्टेशन छापल्डा में पैमाईशी 24 बाई 30 वर्गमीटर के दायरे में निर्मित किया हुआ है। जिसमें वर्तमान में 4 हॉल, चार बडे कमरे तथा चार छोटे कमरे एक खुला चौक स्थित है। उक्त मकान मुझ मुकिर ने स्वयं के स्वामित्व एवं कब्जे मालिकाना हक का है। जो वर्तमान में खाली पडा हुआ है तथा उसका कोई उपयोग नही हो पा रहा है। इस कारण मुझ मूकिर ने अपने उक्त वणित मकान को पांच वर्ष के लिये श्रीमती कान्तादेवी पत्नि श्री नाहरसिंह जाति जाटव अध्यक्ष दिव्य अक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र मोड़क स्टेशन तहसील चेचट जिला-कोटा राजस्थान को 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये मासिक किराये पर देता हूं तथा लिखे देता हूं कि मकान जो किराये पर दिया जा रहा है। उसको साफ सुथरा रख जावेगा। तथा विना मकान मालिक की सहमति व स्वीकृति के मकान में कोई नया निर्माण या तामीर तरमीम नही की जा सकेगी । यह मकान मुझ मुकिर ने 5 वर्ष यानि कि दिनांक 16-3-2024 से 15-3-2029 तक की अवधि के लिये पूर्व इकरारनामे की

रामेश्वर

(GAJENDRA KUMAR)
Notary Central, Ramganjmandi,
Distt. KOTA (Raj.)

04-10-24

लगातार 2 पर

किरायानामा अवधि बढाकर किराये पर दिया है। तथा इसके बाद किराये पर दिये गये परिसर को मकान मालिक को खाली करवाने का अधिकार रहेगा। उक्त मकान में नल व बिजली लगी हुई है। वह किराये में शामिल नही है उसका जो बिल आवेगा उसे किरायेदार ही जमा करवायेगा। मकान मालिक पर उसका कोई भार नहीं होगा। अतः किराये पर दिये जा रहे परिसर को किरायेदार क्रिसी अन्य दीगर व्यक्ति को शिकमी किराये पर नही दे सकेगा। उक्त मकान में किरायेदार ऐसा कोई कार्य नही करेगा। जिससे पडौसियों को किसी भी प्रकोर् क्री कोई परेशानी हो। तथा मुकिर द्वारा किराये पर दिया हुआ परिसर का किराया प्रेतिमाह की 16 से 20 तारीख के मध्य नियमित तौर पर किरायेदार से किराया प्राप्त करता रहंगा। तथा 3 माह का किराया चढ़ने की स्थिति में मकान मालिक को पूरा-पूरा अधिकार रहेगा। यदि किरायेदार द्वारा को तामीर तररीम करवानी आवश्यक मानी जावेगी तो उसकी स्वीकृति किरायेदार द्वारा मकान मालिक से प्राप्त कर निर्माण कार्य करवा सकेगा। तथा निर्माण में होने वाला खर्चा किरायेदार वहन करेगा। किरायेदारी 16 मार्च 2024 से प्रारम्भ मानी जावेगी।

किराये पर दिया हुआ भवन की चतुर्थ सीमाऐं निम्न प्रकार है:-

पूरब में- मुकिर मकान मालिक का मकान | पश्चिम में- वैष्णव जी का मकान

उत्तर में- मोतीलाल जी का मकान | दक्षिण में- मन्दिर परिसर

लिहाजा यह इकरार नामा किराया मुझ मुकिर ने अपने पूर्ण होश हवास व बिना किसी नशे पते व बिना किसी दाब धौस के रूबरू गवाहान आलेखित कर दिया है जो सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक-

Signed before me
Identified by me

गवाह: | हस्ता० माकन मालिक.

1 विशाल .... | रामेश्वर ....

2 चांदनी .... | हस्ता० किरायेदार

....

ATTESTED
(GAJENDRA KUMAR)
Notary Central, Ramganjmandi,
Distt. KOTA (Raj.)
04-10-24